

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2957
16 दिसंबर, 2015 को उत्तर के लिए
dk;Z ds fu"iknu esa nsjh

2957- Jh HkrZ`gfj egrkc%
Jh lat; èkks=s%

D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ dsUæh; yksd fuekZ.k foHkkx ¼lhhMhCY;wMh½ }kjk vius vuqj{k.k pkVZj esa fuèkZfjr le; ls vfèkd le; esa dk;Z@vuqj{k.k dk;Z ds fu"iknu esa foyac ds ,sls ekeyksa dh la;k fdruh gS tks foxr rhu o"kks± esa izR;sd o"kZ rFkk orZeku o"kZ esa ljdkj ds /;ku esa vk;s gSa(

¼k½ foyac ds D;k dkj.k gSa rFkk bl ckjs esa ljdkj dh izfrfØ;k D;k gS(

¼x½ D;k lhhMhCY;wMh us mDr vofèk ds nkSjku izHkkfor f'kd;rdÜkkZ dks ,sls ekeyksa esa dksbZ izfrdj vnk fd;k gS(

¼?k½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS rFkk ,sls ekeyksa esa lhhMhCY;wMh }kjk vc rd vnk fd;s x;s izfrdj dh dqy jkf'k fdruh gS(vkSj

¼³½ lhhMhCY;wMh }kjk dk;Z@vuqj{k.k dk;Z dk le; ls fu"iknu lqfuf'pr djs gsrq ljdkj }kjk vU; dkSu ls mipkjkRed mik; fd;s x;s gSa@fd;s tk jgs gSa\

उत्तर
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जनवरी, 2015 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुरक्षण चार्टर कार्यान्वित किया गया है। अतः जनवरी, 2015 से नवम्बर, 2015 तक के अनुरक्षण चार्टर में अनुबंधित समय से आगे कार्य/अनुरक्षण कार्य के निष्पादन में विलंब के उदाहरणों की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ख): विलंब के लिए मुख्य कारणों में निम्नलिखित कारण शामिल हैं:

- i) अधिवासित क्वार्टरों/कार्यालयों में कार्य के निष्पादन में कठिनाई।
- ii) आबंटी द्वारा परिसरों को ताला लगाना।
- iii) आबंटी द्वारा समय नहीं दिया गया।
- iv) पड़ोसी के असहयोग के कारण देरी ।
- v) कर्मचारियों की कमी।
- vi) धन की कमी।

(ग):जी नहीं।

(घ):प्रश्न नहीं उठता है।

(ड.): i) निर्माण-कार्यों की प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्तर पर निगरानी की जा रही है।

ii) के.लो.नि. विभाग द्वारा निर्माण-कार्य/अनुरक्षण कार्य को समय पर निष्पादित करने को सुनिश्चित करने के लिए ई-सेवा के माध्यम से मानीटर किया।

iii) अनुरक्षण के बारे में क्षेत्रीय कर्मचारियों को जानकारी देकर रख-रखाव के निर्माण कार्यों में सुधार किया जाता है।

iv) आवासीय कल्याण संघों/संपदा विंगों के साथ समय-समय पर बैठकों ने भी निर्माण कार्यों का सुधार करने में मदद की है।

लोक सभा में दिनांक 16.12.2015 को कार्य के निष्पादन में विलंब के बारे में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं0 2957 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

के.लो.नि.वि. सेवा

क्र.सं.	की गई शिकायत की अवधि	समय-सीमा पार करने से संबंधित शिकायतें (दूर की गई और लंबित दोनों)					
		आपातकालीन (6 घंटे)	सामान्य (3 दिन)	मुख्य (30 दिन)	आवधिक (30 दिन)	उन्नयन (श्रेणी 4 तक 60 दिन)	उन्नयन (श्रेणी 5 और इससे अधिक श्रेणी के लिए 75 दिन)
1	01-जनवरी-2015 से 31-मार्च-2015 तक	14247	20596	20874	10746	8515	241
2	01-अप्रैल-2015 से 30-नवम्बर-2015 तक	40614	81811	81629	48583	24148	821